संख्या– 113/2019/1961/छप्पन-2019-68/2017

प्रेषक,

डॉ0 सत्य प्रकाश तिवारी,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नागरिक उड्डयन,
उ0प्र0 लखनऊ।

नागरिक उड्डयन अनुभाग लखनऊ, दिनांक: 21 नवम्बर, 2019

विषय: रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के अन्तर्गत संचालित वायु सेवा के लिए वायबिलिटी गैप फण्डिंग (वी0जी0एफ0) के भुगतान हेतु वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या- 425/ना0उ0नि0/वी०जी०एफ़०/2019 दिनांक 09 अक्टूबर, 2019 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा आपने रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के अन्तर्गत निम्नलिखित सारणी अनुसार वायु सेवा के संचालन के लिए एम0ओ0यू0 के प्रविधानों के अनुरूप वी0जी0एफ0 क्लेम रूप रु0 40,69,800/- के सापेक्ष 20 प्रतिशत वी०जी०एफ़० (राज्यांश) रु0 8,13,960/- (रूपए आठ लाख तेरह हजार नौ सौ साठ मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने का अनुरोध किया गया है:-

आर0सी0एस0 रूट	**अविध/माह**	**एयरलाइन्स का नाम**	**कुल वी0जी0एफ क्लेम (रूपए)**	**20 प्रतिशत राज्यांश (रूपए)**
जयपुर-आगरा-जयपुर	मई, 2019	एयरलाइन एलाइड सर्विसेज लि0	40,69,800/-	**8,13,960/-**

2- भारत सरकार की रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के क्रियान्वयन हेतु दिनांक 29 दिसम्बर, 2016 को भारत सरकार, राज्य सरकार एवं भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के मध्य निष्पादित एम0ओ0यू0 के प्रस्तर- 4.2.2(e) के प्राविधान के अनुसार आर0सी0एस0 स्कीम के अन्तर्गत वायबिलिटी गैप फण्डिंग (वी0जी0एफ0) के 20% अंश का भुगतान राज्य सरकार द्वारा किया जाना है। रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के अन्तर्गत एयरलाइन एलाइड सर्विसेज लि0 द्वारा उक्त सारणी अनुसार रूट तथा अवधि के लिए वायु सेवा के संचालन हेतु एम0ओ0यू0 के प्रविधानों के अनुरूप वी0जी0एफ0 क्लेम रूप रु0 40,69,800/- के सापेक्ष 20 प्रतिशत वी०जी०एफ़० (राज्यांश) रु0 8,13,960/- (रूपए आठ लाख तेरह हजार नौ सौ साठ मात्र) की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की जानी है। उक्त धनराशि रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम हेतु कार्यान्वयन संस्था भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा गठित रीजनल एयर कनेक्टिविटी फण्ड ट्रस्ट के माध्यम से सम्बन्धित एयरलाइन कम्पनी को भुगतान की जानी है ।

2/--

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

अत: श्री राज्यपाल चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में उक्त आर0सी0एस0 वायु सेवा हेतु एम0ओ0यू0 के प्राविधानों के अनुरूप 20% वी0जी0एफ0 (राज्यांश) के भुगतान हेतु रु0 8,13,960/- (रूपए आठ लाख तेरह हजार नौ सौ साठ मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के साथ रु0 8,13,960/- (रूपए आठ लाख तेरह हजार नौ सौ साठ मात्र) अवमुक्त किए जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं|

3- प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति इस शर्त/ प्रतिबन्ध के अधीन है कि स्वीकृत धनराशि के आहरण एवं व्यय में संबंधित पक्षों द्वारा वित्तीय नियमों/ आदेशों/ प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा|

4- उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 के अनुदान संख्या-38 के राजस्व लेखा-लेखाशीर्षक "3053-नागर विमानन-01-हवाई सेवाएँ-800-अन्य व्यय-02-रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के अन्तर्गत वायबिलिटी गैप फण्डिंग -42-अन्य व्यय" के नामे डाला जाएगा।

5- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 22 मार्च, 2019 के प्रस्तर-2(1) में उल्लिखित प्रावधान के अन्तर्गत निर्गत किया जा रहा है।

भवदीय,
डॉ0 सत्य प्रकाश तिवारी
अनु सचिव।

पृ0सं0: 113/2019/1961(1)/छप्पन-2019-तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- उप महालेखाकार ई0एस0।।।, आडिट भवन, टी0सी0-35-वी-।, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ-10
3- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7 ।
5- महाप्रबन्धक (एफ0 एण्ड ए0)-आर0सी0एस0, रीजनल एयर कनेक्टिविटी फण्ड ट्रस्ट, राजीव गांधी भवन, सफदरजंग एयरपोर्ट, नई दिल्ली-110003.
6- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
डॉ0 सत्य प्रकाश तिवारी
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।